राजस्थान सरकार

कृषि प्रसंस्करण
एवं
विपणन प्रोत्साहन
कृषकों के द्वार
योजना–2017

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषकों के द्वार योजना–2017

कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन क्षेत्र में रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने एवं कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कृषकों के खेत पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जनहित में ''**कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषको के द्वार योजना 2017**'' (जो भविष्य में योजना कहलाएगी) को जारी किया जाता है।

1. परिकल्पना

विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न फल एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए राज्य में अनुकूल जलवायु एवं उपजाउ भूमि उपलब्ध है। राज्य, देश में चावल, मक्का, दलहन, विविध प्रकार के फल एवं सब्जियों एवं मसालो के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कृषि योग्य भूमि का अधिकतर उपयोग लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा किया जा रहा है, जिनका विपणन में नगन्य योगदान है। राज्य का किसान इतना गरीब है कि उसके पास खेती के सीमित साधनो के कारण खर्च करने के लिए पैसे की कमी भी है। लघु एवं सीमान्त कृषको की खेती में मशीनो का उपयोग भी नहीं के बराबर है जिसके कारण फसलों की उत्पादकता एवं कृषि की सघनता भी प्रभावित हो रही है। राज्य में कृषकों के पास फसलोत्तर प्रबन्धन के साधन, भण्डारगृह एवं मण्डियों तक कृषि उत्पादों को लाने ले जाने के लिए लिंक रोड़ भी पर्याप्त नहीं है। कृषि प्रसंस्करण के अभाव में कृषकों को उसके उत्पाद का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषकों को कृषि प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु **कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषकों के द्वार योजना 2017** लागू करने का निर्णय किया है।

2. क्रियान्वयन अवधि

यह योजना जारी आदेश की तिथि से लागू होगी एवं 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगी। तत्पश्चात नीति का पुनर्वालोकन किया जाएगा।

3. योजना हेतु वित्तीय प्रावधान

योजना का व्यय़ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के किसान कल्याण कोष मद से वहन किया जाएगा।

4. पात्रता

1. योजनान्तर्गत कृषक/कृषक उद्यमी/उत्पादक समूह जिनके पास स्वयं की जमीन उपलब्ध है।
2. जो प्रसंस्करण ईकाई स्थापित करने के इच्छुक हों।
3. परियोजना लागत रूपये 50.00 लाख से अधिक नहीं हो।

5. परिभाषाएं

i. **कृषि उत्पाद**:– कृषि उत्पाद से तात्पर्य कृषि, औद्यानिकी, रेशमकीट, पुष्प, सुगन्धित व औषधीय एवं हर्बल पौधे, मत्स्य, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन, डेयरी एवं लघु वन उपज तथा पशु उत्पाद भी सम्मिलित होने से है।

ii. **कृषि प्रसंस्करण**:– कृषि प्रसंस्करण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कृषि उत्पाद, कृषि अवशिष्ट एवं मध्यवर्ती कृषि उत्पाद से ऐसा उत्पाद तैयार हो, जिससे उसकी मूल प्रकृति में परिवर्तन हो सके।

iii. **कृषि विपणन**:– कृषि विपणन का तात्पर्य उस व्यवसाय से है, जो अपना अधिकांश राजस्व कृषि कार्य से अर्जित करता हो और जिसमें कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, विनिर्माण व वितरण सम्मलित होगा।

iv. **डेयरी क्षेत्र**:– डेयरी क्षेत्र से तात्पर्य कच्चे दूध से कन्ज्यूमर मिल्क, पनीर, आईसक्रीम, छेना, छाछ एवं प्रोटीन निर्माण से है।

6. **प्रकिया**

अनुदान स्वीकृति

राज्य सरकार प्रशिक्षण देकर कृषकों के द्वारा उत्पादित खाद्यान्न, फल एवं सब्जियों आदि का खेतों पर ही प्रसंस्करण करने के लिए प्रोत्साहित करने को उत्सुक है। अतः कृषकों व कृषक उत्पादक समूहों को प्रसंस्करण हेतु निम्न प्रकार परिलाभ देना प्रस्तावित हैः–

1. **किसान/कृषक उत्पादक समूहः**– वाणिज्यिक बैंक/ग्रामीण आंचलिक बैकों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत रूपये 50.00 लाख तक होगी एवं स्वीकृत लागत राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 20.00 लाख अनुदान राशि देय होगी। परियोजना लागत में चारदीवारी/तारबन्दी/गेट व गेट गुमटी की लागत सम्मिलित नहीं होगी। अनुदान राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाएगा–
   i. कुल अनुदान राशि के 20 प्रतिशत अनुदान की अग्रिम राशि का भुगतान परियोजना स्वीकृति के बाद किया जाएगा।
   ii. प्रथम किस्त के उपयोग के बाद एवं आवश्यक मशीन व संयंत्र क्रय करने एवं स्थापित करने पर कुल अनुदान का 30 प्रतिशत राशी द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान होगा।
   iii. द्वितीय किस्त के पूर्ण उपयोग एवं मशीन व संयंत्रों की स्थापना के बाद कुल अनुदान की 30 प्रतिशत राशि का भुगतान तृतीय किस्त के रूप में होगा।
   iv. शेष 20 प्रतिशत अनुदान राशि का भुगतान इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन एवं विपणन शुरू होने एवं संबंधित जिला उद्योग केन्द्र से उद्योग आधार प्रस्तुत करने पर होगा।
2. अनुदान हेतु ऋण दात्री बैंक/संस्था से टर्म लोन स्वीकृत/कृषक द्वारा योजना का पूरा निवेश वहन करना आवश्यक है।
3. अनुदान ऋण दात्री बैंक/संस्था के ऋणी के खातें में स्थानान्तरित किया जावेगा, जो 3 साल तक लोकिंग पीरियड में रहेगा। यह राशि 3 साल बाद ऋण के पेटे समायोजित की जाएगी बशर्ते कि इकाई 3 साल तक निरन्तर परिचालन में हो और इकाई गत 3 वर्ष से वाणिज्यिक उत्पादन व बिक्री कर रही हो। उत्पादन के बाद इकाई को 5 साल तक निरंतर वाणिज्यिक उत्पादन व विपणन करना आवश्यक होगा।

   कृषक द्वारा स्वयं निवेश पर अनुदान बोर्ड में कृषक के खाते में स्थानान्तरित किया जावेगा। यह राशि बोर्ड में 3 साल के लिए Locking Period में रहेगी, जिसे कार्यरत इकाई के 3 वर्ष पूर्ण होने पर एकमुश्त भुगतान कृषक को किया जावेगा।

   i. इकाई को न्यूनतम 5 वर्ष नियमित रूप से चलाना आवश्यक है अन्यथा इकाई के निरन्तर कार्यरत न रहने पर पेय अनुदान राशि को कृषक से एकमुश्त वसूली की जावेगी।

अनुदान वितरण

1. सदस्य सचिव, अनुदान स्वीकृति कमेटी द्वारा अनुदान स्वीकृति पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करने के बाद महाप्रबंधक (प्रशासन), बोर्ड अनुदान के भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा। तत्पश्चात उद्यमी कृषक को अनुदान प्राप्ति हेतु सचिव बोर्ड के साथ अनुबंध करना होगा। अनुबंध प्राप्ति के बाद अनुदान राशि बैंक के "Subsidy Reserve Fund Account" में/स्वयं के निवेश पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कृषक के खाते में स्थानान्तरित कर दी जाएगी, जो 3 साल तक लोकिंग पीरियड में रहेगी।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति वर्ष में एक बार इकाई के उत्पादन समय में निरीक्षण करेगा अगर इकाई बन्द पाई जाती है तो सचिव की रिर्पोट पर सम्पूर्ण अनुदान राशि को बैक से वापस आहरित कर लिया जाएगा।

7. **भूमि सम्बन्धित प्रकरण**

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व विभाग (ग्रुप 6) अधिसूचना आदेश क्रमांक प. (6)राजस्व–6/92/पार्ट/24 दिनांक 14.10.2010 जारी कर निम्न राजस्व नियमों में संशोधन किया है:–

I. राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि कार्यो के लिए रूपान्तरण) नियम 2007 में संशोधन कर कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु 10 हैक्टेयर तक भूमि रूपान्तरण उपखण्ड अधिकारी तथा 10 हैक्टेयर क्षेत्र से अधिक भूमि के रूपान्तरण के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

II. कृषि व्यवसाय गतिविधियां, जिसके अन्तर्गत अकृषि कार्यों का क्षेत्र कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक न हो पूर्ण क्षेत्र कृषि गतिविधि अन्तर्गत ही माना जायेगा। इस प्रकार के मामलों में राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि कार्यो के लिए रूपान्तरण) नियम 2007 के अन्तर्गत भूमि का अकृषि कार्यो के लिए रूपान्तरण की आवश्यकता नहीं होगी।

8. कियान्वयन प्रकिया

योजनान्तर्गत समस्त परिलाभों हेतु उद्यमी कृषक सम्बन्धित सचिव कृषि उपज मण्डी समिति को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना प्रस्तुत करेगा। सचिव कृषि उपज मण्डी समिति प्रार्थना पत्र को जिले की सदस्य सचिव, जिला स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्तुत करेगा।

जिला स्क्रीनिंग कमेटी कृषक उद्यमी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच कर अनुदान स्वीकृति हेतु अनुदान स्वीकृत कमेटी को प्रस्तुत करेगी। जिला स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य सचिव इकाई के कार्य का सत्यापन कर इकाई की प्रगति से महाप्रबंधक बोर्ड को सूचित करेगा।

जिला स्क्रीनिंग कमेटी (DSC) जिसमें निम्न सदस्य होंगे:–

1	संयुक्त/उप निदेशक कृषि विपणन विभाग	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता रा.रा.कृ.वि.बोर्ड,	सदस्य
3	संयुक्त/उप निदेशक पशुपालन	सदस्य
4	उप निदेशक कृषि/उद्यानिकी	सदस्य
5	खण्डीय लेखाकार अधिशाषी अभियंन्ता बोर्ड	सदस्य
6	जिला मुख्यालय पर पदस्थपित सचिव कृषि उपज मण्डी समिति।	सदस्य सचिव

अनुदान स्वीकृति कमेटी (SSC) जिसमें निम्न सदस्य होंगे:–

1	प्रशासक, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड	अध्यक्ष
2	निदेशक कृषि विपणन विभाग	सदस्य
3	मुख्य लेखाधिकारी/वित्तिय सलाहकार बोर्ड	सदस्य
4	महाप्रबंधक बोर्ड	सदस्य
5	सचिव बोर्ड	सदस्य सचिव

जिला स्क्रीनिंग एवं अनुदान स्वीकृति कमेटी आवश्यकतानुसार बैठक में अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेंगी।

प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 1 माह में जिला स्क्रीनिंग कमेटी परियोजना की उपयोगिता एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त तथ्यों की जॉच एवं सत्यापित कर अनुदान स्वीकृति कमेटी को अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र

पत्रावली अग्रेषित करेगी। सदस्य सचिव अनुदान स्वीकृति कमेटी उद्यमी कृषक को अनुदान स्वीकृति हेतु कमेटी की बैठक संबंधित प्रार्थना–पत्र पत्रावली सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति से प्राप्त होने पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर भुगतान करने हेतु महाप्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को संबंधित प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

9. प्रार्थना पत्र प्रेषण प्रक्रिया

उद्यमी कृषक फार्म न.1 के साथ परियोजना रिपोर्ट एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु योजना के तहत जारी आदेश में अंकित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रार्थना पत्र सम्बन्धित सचिव कृषि उपज मण्डी समिति को प्रस्तुत करेगा।

सदस्य सचिव अनुदान स्वीकृति कमेटी अनुदान हेतु आयोजित मिटिंग के 15 दिवस में देय अनुदान/परिलाभ स्वीकृति हेतु पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

महाप्रबन्धक प्रशासन बोर्ड पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के 1 माह में उद्यमी कृषक को अनुदान स्वीकृत कर ऋण दात्री बैंक को राशि हस्तानान्तरित करेगा।

10. नोडल एजेन्सी

इस योजना के प्रयोजनार्थ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी होगा।

11. नियम एवं शर्ते

योजना के अन्तर्गत परिलाभ प्राप्त करने वाले उद्यमी को उस पर लागू राज्य सरकार के संवैधानिक कानूनों एवं योजना की शर्तो की पालना करनी होगी। नियमों के उल्लंघन में उद्यमी से परिलाभ निरस्त कर वसूल किये जा सकते है।

परिलाभ प्राप्त करने वाले पात्र उद्यमों पर इस योजना के अन्तर्गत समय–समय पर जारी दिशा निर्देश, स्पष्टीकरण, प्रक्रियाओं में किये गये सुधार व सरलीकरण के नियम लागू होंगे।

योजनान्तर्गत देय प्रोत्साहनों का उपयोग केवल केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी सहमति एवं निर्धारित समयानुसार ही कर सकेंगे।

12. शर्तों का उल्लंघन

योजनान्तर्गत वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने पर सक्षम अनुदान स्वीकृति कमेटी, उद्यम द्वारा उपयोग किये गये प्रोत्साहनों को वापस ले सकेगी तथा जिला स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिस पर संबंधित उद्यम द्वारा उपयोग की गई प्रोत्साहन राशि को उपयोग की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल कर सकेगा।

13. क्रियान्वयन/व्याख्या हेतु प्राधिकारी

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड विभागों में समन्वय, समीक्षा एवं क्रियान्वयन का कार्य करेगा।

योजना की किसी धारा/उपधारा के स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बार्ड को प्रकरण प्रेषित करना होगा जिस पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

14. त्रुटियों का सुधार

योजनान्तर्गत अनुदान गणना में यदि कोई त्रुटि का आभास हो तो अनुदान स्वीकृति कमेटी का सक्षम अधिकारी आदेशों में सुधार कर भुगतान किये गये अधिक अनुदान को 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित उद्यमी से वसूली कर सकेगा। लेकिन 3 साल की अवधि पश्चात् योजना में देय लाभों के उपयोग के उपरान्त वसूली हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा।

15. पुनर्रावलोकन

जिला स्क्रीनिंग कमेटी एवं अनुदान स्वीकृति कमेटी जैसा भी हो पारित त्रुटिपूर्ण आदेश का पुनर्रावलोकन कर सकेगी फिर भी लाभार्थी उद्यमी को सुनवाई का मौका देते हुए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड राज्यहित में स्वःप्रेरणा से स्वतः ही आदेश को संशोधित कर अनुदान को कम कर सकेगा।

3 वर्ष पश्चात् नीति के अन्तर्गत देय लाभों का पूर्ण उपयोग कर लिया हो तो बोर्ड कोई आदेश पारित नहीं कर सकेगा।

अनुदान स्वीकृति कमेटी जिला स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध अपील पर सुनवाई कर सकेगी बशर्ते अपील जिला स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा पारित आदेश के 60 दिन के अन्तर्गत की गई हो।

16. **योजना में परिवर्तन**

योजना के क्रियान्वयन में अन्तर्विभागीय विवादो के अतिरिक्त राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड आवश्यकतानुसार योजना में परिवर्तन कर सकेगा।

17. **कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषको के द्वार योजना 2017 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ के अतिरिक्त लाभार्थी को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन योजना 2015 के अन्तर्गत देय अतिरिक्त लाभ भी देय होंगे।**

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन योजना 2015 के अन्तर्गत देय परिलाभों के लिए इच्छुक उद्यमी कृषक को नीति–2015 के प्रावधानों के अनुसार प्रथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1. गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण प्रोत्साहन

i- पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण

भारतीय पेटेन्ट एक्ट एण्ड इण्डियन डिजाइन एक्ट के अन्तर्गत पेटेन्ट एवं डिजाइन के पंजीकरण हेतु अधिकतम रूपये 2.00 लाख प्रतिलाभार्थी प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि राज्य स्तरीय स्वीकृति कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

ii- गुणवत्ता प्रमाणीकरण

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण जैसे OHSAS,SA8000, ISO14001, ISP9000 या नवीनतम जिन्सवार समय–समय पर जारी गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर अधिकतम रूपये 2.00 लाख प्रति उद्यम प्रति प्रमाणीकरण वर्ष राज्य स्तरीय स्वीकृति कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

2. परियोजना विकास प्रोत्साहन

अनुदान स्वीकृति कमेटी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2.00 लाख प्रति लाभार्थी 3 वर्ष की अवधि में व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने पर स्वीकृत करेगी। यह प्रोत्साहन राज्य स्तरीय स्वीकृत कमेटी की विशेष स्वीकृति के पश्चात् एवं इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने पर ही देय होगा।

3. फल, सब्जी एवं अन्य औद्यानिकी उत्पाद निर्यात अनुदान

i. अनुदान स्वीकृति कमेटी, राज्य में उत्पादित फल सब्जी एवं अन्य औद्यानिकी उत्पादों को हवाई जहाज से निर्यात करने पर रूपये 4.50 प्रति किलो अथवा FOB का 20 प्रतिशत जो

भी कम हो अधिकतम रूपये 10.00 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक स्वीकृत करेगी।

ii. राज्य में उत्पादित किन्नू, संतरा आदि अन्य शीघ्रनाशी फल व सब्जी एवं अन्य औद्यानिकी उत्पाद जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करे के विपणन पर रेल भाडे का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15.00 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अनुदान 3 वर्ष तक स्वीकृत कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यह अनुदान उत्पादन क्षेत्र से किसी भी साधन द्वारा 300 कि.मी. से अधिक दूरी पर परिवहन करने पर देय होगा।

प्रशासक

परिशिष्ठ–1

कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषकों के द्वार योजना–2017 के अन्तर्गत अपात्र निवेश

1. सॉलवेन्ट निष्कासन इकाई/ तेल शोधक इकाईयों के अतिरिक्त सभी तरह के खाद्य तेल निकालने की घानी
2. पीने योग्य शराब व बीयर के निर्माण व बोतल बंदी
3. बॉटलिंग या पैकेजिंग प्लांट जिसमें पीने योग्य शराब व बीयर एवं वातित पेय (aerated drinks) की केवल बोतल बंदी/पैकेजिंग करना
4. जहरीला पदार्थ प्रवाह नियन्त्रण करने वाला संयत्र रहित जहरीली गैस उत्सर्जन करने वाली प्रसंस्करण इकाई ।

फार्म–1

परिलाभ हेतु प्रार्थना पत्र

(राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषको के द्वार योजना–2017 के अन्तर्गत)

1.	प्रार्थी कृषक उद्यमी का नाम		
	प्रसंस्करण हेतु जिन्स का नाम		
2.	प्रार्थी उद्यम का पता		
	ई–मेल पता		
3.	उद्यम का संविधानः स्वामित्व/साझेदार/कम्पनी/सोसाइटी इत्यादि		
4.	उद्यम को, आम सामाजिक भलाई के लिए नई सेवा करने का परियोजना के तहत एक उद्यम होने के लिए पर्याप्त आधार		
5.	माल तैयार किया/प्रदत्त सेवा (या माल तैयार करना है)/संभावित सेवाऐं)		
6.	पूर्व में प्राप्त किया अनुदान यदि कोई हो।		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
7.	कुल श्रमिकों की संख्या (या नियोजित करना है)		
8.	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति		
		अनुमति क्रमांक	अनुमति दिनांक
	अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त		
	संचालन की अनुमति प्राप्त की		
9.	प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया		
	1. नई प्रसंस्करण इकाई स्थापना..... उत्पाद		

मैंने इस योजना के नियम और शर्तों को पढा हैं एवं समझा है और मै इनकी पालना करने का वचन देता हूँ। मैं वचन देता हूँ एवं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान एवं विश्वास कि अनुसार सत्य है।

स्थानः
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
कृते प्रार्थी उद्यम

संलग्नः–

1. परियोजना रिर्पोट की प्रति जिसमें विभिन्न गतिविधीयों की समय सीमा निर्धारित हो।
2. भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र
3. आवेदन के तथ्यों के समर्थन में निम्न तथ्यों के बारे में 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र में
   - 3.1 वाणीज्यिक बैंक द्वारा जारी सावधी ऋण के आदेश
   - 3.2 सब्सिडी का उपयोग स्वीकृत परियोजना के लिए ही किया जाएगा
   - 3.3 पूर्व में इसी परियोजना हेतु अन्य विभाग से अनुदान प्राप्त न करना
   - 3.4 इकाई द्वारा नियमित रूप से वाणिज्यिक उत्पादन करना
   - 3.5 निर्धारित समय सीमा में इकाई का निर्माण किया जाएगा
   - 3.6 इकाई के लिए किसी अन्य स्त्रोत से अनुदान प्राप्त नहीं करना
   - 3.7 आय व्यय ब्योरा का चार्टेड अकाउन्टेंन्ड का त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना
   - 3.8 निर्मित इकाई का नक्शा व लागत का ब्यौरा संलग्न करना
   - 3.9 प्लांट एवं मशीनरी के बिल/कोटेशन प्रस्तुत करना
   - 3.10 जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी इकाई का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

फार्म–II
पात्रता प्रमाण पत्र

योजनान्तर्गत अनुदान हेतु

(कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषको के द्वार योजना–2017 के अन्तर्गत)

पुस्तक संख्या :

क्रमांक संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स..... जिसका प्रार्थना पत्र परियोजना .... स्थान .....(पता), क्रमांक..... दिनांक ..... पर पंजीकृत कर लिया है। घोषणा के आधार पर फर्म कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषको के द्वार योजना–2017 के अन्तर्गत रूपया..... अनुदान छूट प्राप्त करने के लिए पात्र है।

यह प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष अथवा योजना अवधि की समाप्ती जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगा।

स्थानः
दिनांकः

(हस्ताक्षर मय मोहर)
सदस्य सचिव
अनुदान स्वीकृति कमेटी

प्रतिलिपी

1. मैसर्स
2. सम्बन्धित विभाग

सदस्य सचिव

राज्य सरकार का सम्बन्धित प्राधिकारी किसी सूचना के आधार पर अथवा स्वतः संज्ञान लेकर इन कर्तव्यों एवं लेवी के लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा एवं इस प्रमाण पत्र के धारक फर्म द्वारा कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषको के द्वार योजना–2017 के प्रावधानो का उल्लघंन करने पर दी गयी छूट को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूल कर सकेगा।

नोटः–

1. संबंधित अधिसूचनाओं की शर्त एवं नियमों के उल्लंघन, गलत बयान बाजी या तथ्यों को छुपाने या धोखा देकर इस प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्थिति में प्रमाण पत्र को संशोधित/निलम्बित/निरसन (revocation) किया जा सकता है।
2. प्रार्थी द्वारा योजना की किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेशो को वापस लिया जा सकता है।

फार्म–III

परिलाभों के दावो को निरस्त करने का आदेश
(कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन कृषको के द्वार योजना–2017 के अन्तर्गत)

कार्यालय सदस्य सचिव
जिला स्तरीय स्वीकृत कमेटी/अनुदान स्वीकृति कमेटी

श्री

1.	प्रार्थी उद्यमी का नाम	
2.	प्रार्थी उद्यमी का पता	
3.	ई–मेल	
4.	पेन कार्ड नम्बर	

वर्तमानः श्रीमान्/श्रीमति/श्री

आप द्वारा प्रस्तुत परियोजना पर देय अनुदान की स्वीकृति हेतु प्रषित प्रार्थना पत्र दिनांक .... को प्राप्त हुआ। प्रकरण अनुदान स्वीकृति कमेटी की बैठक दिनांक ..... को कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं कमेटी के अघ्यक्ष एवं सदस्यों के समक्ष आप द्वारा प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किए गए तथ्यों की सावधानीपूर्वक जॉच करने के बाद कमेटी की राय में आप निम्न कारणों से लाभों/छूट के पात्र नहीं है।

- .
- .
- .

अतः लाभों में छूट हेतु प्राप्त आपका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

स्थानः
दिनांकः

(हस्ताक्षर मय मोहर)
सदस्य सचिव
अनुदान स्वीकृति कमेटी

प्रतिलिपी

1. मैसर्स
2. सम्बन्धित विभाग

सदस्य सचिव

फार्म–IV

परिलाभों के वितरण के लिए आवेदन
(कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषकों के द्वार योजना–2017 के अन्तर्गत)

सेवामें

प्रशासक
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

जयपुर (राज.)

अवधिः ..... से.....तक

1.	प्रार्थी उद्यम का नाम	
2.	प्रार्थी उद्यम का पता ई–मेल पता	
3.	पेन कार्ड यदि है	
4.	पात्रता प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक	
5.	परिलाभ का नाम	
6.	प्रस्तुत की गई परिलाभ के दावे की राशि	

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर
कृते प्रार्थी उद्यम

संलग्नः

1. पात्रता प्रमाण पत्र की प्रति

फार्म–V
चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा मूल्यांकन प्रमाण पत्र
(नवीन/प्रसंस्करण इकाई)

हम यह प्रमाणित करते हैं कि मैंसर्स..... ..... द्वारा निवेश कर निम्न परिसम्पतियॉ अर्जित की है।

अचल परिसम्पतियॉ में निवेश का विवरणः

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1.	प्रलेखन चार्ज सहित भूमि की लागत	
2.	भूमि विकास की लागत (समतलीकरण या गढढा भरना)	
3.	अन्य इकाई के भवन मय फेक्ट्री शेड की लागत	
4.	संयंत्र एवं मशीनों की लागत	
5.	अन्य अचल सम्पत्तियों की कीमत	
6.	पर्यायवरण नियंत्रण उपकरणों की कीमत	
	योग	

मै/हमने उद्यमी के खातों की किताबें, बीजक, नकद बिल एवं नकदी रसीदों की जॉच कर ली है एवं प्रमाणित करते है/करता हूॅ कि उपरोक्त सूचना सत्य है। मैं/हम प्रमाणित करते है कि उपरोक्त मदों का भुगतान किया जा चुका है और उद्यमी के खातों की किताबों के अनुसार फर्म के विरूद्ध कोई उधारी नहीं है।

स्थानः
दिनांक

(हस्ताक्षर मय मोहर)
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट